रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092021-230083
CG-DL-E-30092021-230083

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/आश्विन 8, 1943
No. 428] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021

सं.आई.बी.बी.आई/2021-22/जी.एन/आर.ई.जी.079.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है), के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ङक) के उपखंड (vii) में, "अंशदाताओं को" शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. मूल विनियमों के विनियम 2ख के उप-विनियम (1) में, "उपधारा (1) और उपधारा (4)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा।

4. मूल विनियमों के विनियम 15 के उप-विनियम (2) के खंड (ङ) में, "भाग 2 के अध्याय 3 के अनुसार" शब्दों और अंकों के स्थान पर "भाग 2 के अधीन" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

5. मूल विनियमों के विनियम 31क में,-

(i). उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) परिसमापक, समापन प्रारंभ होने की तारीख से साठ दिन के भीतर, निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर उसे सलाह देने के लिए, विनियम 31 के अधीन तैयार की गई हितधारकों की सूची पर आधारित एक परामर्श समिति का गठन करेगा –

(क) विनियम 7 के अधीन व्यावसायिकों की नियुक्ति और उनका पारिश्रमिक;

(ख) विनियम 32 के अधीन बिक्री, जिसके अंतर्गत बिक्री की रीति, बोली-पूर्व अर्हताएं, आरक्षित कीमत, अग्रिम जमा की रकम और विपणन रणनीति भी है :

परन्तु परिसमापक द्वारा परामर्श समिति के गठन से पूर्व किए गए विनिश्चय (विनिश्चयों) को परामर्श समिति के समक्ष उसकी प्रथम बैठक में उसकी जानकारी के लिए रखा जाएगा ।";

(ii) उप-विनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) यदि किसी वर्ग के हितधारक, उप-विनियम (3) के अधीन अपने प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करने में असफल होते हैं तो ऐसे प्रतिनिधियों का चयन, उस वर्ग के उपस्थित और मतदान करने वाले मतदान अंश के बहुमत द्वारा किया जाएगा ।";

(iii) उप-विनियम (10) के परन्तुक में, "लेखबद्ध करेगा" शब्दों के पश्चात् "और अगली प्रगति रिपोर्ट में उसका उल्लेख करेगा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

6. मूल विनियमों के विनियम 44 के उप-विनियम (1) में, "के अध्याय 3" शब्दों और अंक का लोप किया जाएगा ।

7. मूल विनियमों के विनियम 47 में, समापन प्रक्रिया के लिए आदर्श समय-सीमा से संबंधित सारणी में, क्रम सं. 9 के सामने स्तंभ (3) में, "और सार्वजनिक उद्घोषणा करना" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

8. मूल विनियमों की अनुसूची I के पैरा 1 में,-

(i) खंड (3) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"परन्तु परिसमापक, समापन प्रक्रिया के अधीन किसी नीलामी में भाग लेने के लिए किसी अप्रतिदेय निक्षेप या फीस का संदाय करने की अपेक्षा नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि अग्रिम जमा, आरक्षित कीमत के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।"

(ii) खंड (5) में, "सार्वजनिक घोषणा करेगा" शब्दों के स्थान पर "सार्वजनिक सूचना जारी करेगा" शब्द रखे जाएंगे।

(iii) खंड (11) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(11क) जहां परिसमापक किसी नीलामी प्रक्रिया में उच्चतर बोली को खारिज करता है वहां वह उच्चतर बोलीकर्ता को ऐसी खारिजी के लिए कारण सूचित करेगा और अगली प्रगति रिपोर्ट में उसका उल्लेख करेगा।"

9. मूल विनियमों की अनुसूची II में, प्ररूप ज के पैरा 2 की सारणी में –

(i) क्रम सं. 19 और उसकी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(ii) क्रम सं. 23 और क्रम सं. 24 के सामने स्तंभ (2) में, "उद्घोषणा" शब्द के स्थान पर "सूचना" शब्द रखा जाएगा।

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./291/2021-22]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 460, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./ 2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.005, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम

IndiaCode

संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 91, तारीख 4 मार्च, 2021 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.069, तारीख 4 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2021 द्वारा किया गया था ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2021

No. IBBI/2021-22/GN/REG079.- In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (ea), in sub-clause (vii), the words "to contributories" shall be omitted.

3. In the principal regulations, in regulation 2B, in sub-regulation (1), the words, figures and brackets "sub-sections (1) and (4) of" shall be omitted.

4. In the principal regulations, in regulation 15, in sub-regulation (2), in clause (e), for the words and figures "in accordance with Chapter III of Part II", the words and figure "under Part II" shall be substituted.

5. In the principal regulations, in regulation 31A -

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(1) The liquidator shall constitute a consultation committee within sixty days from the liquidation commencement date, based on the list of stakeholders prepared under regulation 31, to advise him on matters relating to-

(a) appointment of professionals and their remuneration under regulation 7;

(b) sale under regulation 32, including manner of sale, pre-bid qualifications, reserve price, amount of earnest money deposit, and marketing strategy:

Provided that the decision(s) taken by the liquidator prior to the constitution of consultation committee shall be placed before the consultation committee for information in its first meeting.";

(ii) for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(4) If the stakeholders of any class fail to nominate their representatives, under sub-regulation (3), such representatives shall be selected by a majority of voting share of the class, present and voting.";

(iii) in sub-regulation (10), in the proviso, after the words "in writing", the words "and mention it in the next progress report" shall be inserted.

6. In the principal regulations, in regulation 44, in sub-regulation (1), the words "Chapter III of" shall be omitted.

7. In the principal regulations, in regulation 47, in the table relating to model timelines for liquidation process, in column (3), against Sl. No. 9, the words "and announcement to public" shall be omitted.

8. In the principal regulations, in Schedule I, in paragraph 1-

IndiaCode

(i) in clause (3), the following provisos shall be inserted, namely: -

"Provided that the liquidator shall not require payment of any non-refundable deposit or fee for participation in an auction under the liquidation process:

Provided further that the earnest money deposit shall not exceed ten percent. of the reserve price.".

(ii) in clause (5), for the words, "make a public announcement", the words, "issue a public notice" shall be substituted.

(iii) after clause (11), the following clause shall be inserted, namely:-

"(11A) Where the liquidator rejects the highest bid in an auction process, he shall intimate the reasons for such rejection to the highest bidder and mention it in the next progress report.".

9. In the principal regulations, in Schedule II, in Form H, in para 2, in the table-

(i) the Sl. No.19 and the entries thereof shall be omitted.

(ii) in column (2), against Sl. No. 23 and Sl. No. 24, for the word "announcement", the word "notice" shall respectively be substituted.

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./291/2021-22]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG005 dated 15th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide No. 460 on 15th December, 2016 and were last amended by Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2021 *vide* notification No. IBBI/2020-21/GN/REG069 dated the 04th March, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide No. 91 on 04th March, 2021.

Indiacode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.30 22:41:29 +05'30'